

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र खारिया तला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. किसनसिंह उर्फ किसना पुत्र अचलसिंह उर्फ अचला जाति पुरोहित निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाड़मेर		1.गंगासिंह पुत्र श्री वगतसिंह जाति राजपुरोहित 2 पुरसिंह पुत्र वगतसिंह जाति राजपुरोहित 3 धनसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपुरोहित 4 शंकरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुरोहित 5 पेमाराम पुत्र सांगाराम जाति कुमावत 6 पाबुसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयान भाड़खा पुरोहितान 7 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-133/2021 दिनांक-11.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 645/478 रकबा 55.03 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 11/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6272-6275

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी किसनसिंह उर्फ किसना पुत्र अचलसिंह उर्फ अचला जाति पुरोहित निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण गंगासिंह पुत्र श्री वगतसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी भाड़खा पुरोहितान तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर